

क्रमांक 154/बो.प्र./नि.स./2021/.....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

अपीलार्थी
श्री विनेश चोपड़ा
वार्ड क्र: 24 जमातपारा कालेज रोड
राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रतिअपीलार्थी
श्री एल.बी. शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

अपील प्रकरण क्रमांक 155
आदेश दिनांक 22.06.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री विनेश चोपड़ा वार्ड क्र. 24 जमातपारा कालेज रोड राजनांदगांव (छ.ग.) के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2021 की सुनवाई आज दिनांक 22.06.2021 को कक्ष क्र. एस.ए.-9 में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुए। आवेदक श्री विनेश चोपड़ा सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के लेख अनुसार मोबाईल क्र. 9425559204 में सुनवाई हेतु कॉल किया गया, परन्तु उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु श्री विनेश चोपड़ा, द्वारा दिनांक 12.03.2021 को जनसूचना अधिकारी कार्यालय अवर सचिव, छ.ग.शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर में आवेदन पत्र क्र. 03-12/वि.चो./सू.का.अधि./2021 दिनांक 12.03.2021 प्रस्तुत किया था जिसके साथ उनके द्वारा 10 रु. का ई.भा.गैर न्या. स्टा. पेपर क्र. LB 0013889776 प्रस्तुत किया।

प्रकरण पर सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर द्वारा, जनसूचना अधिकारी 'छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा पत्र क्र. 858/726/31/स्था./2021 रायपुर दिनांक 19.03.2021 द्वारा आवेदक श्री विनेश चोपड़ा वार्ड क्र.-24 जमातपारा कालेज रोड राजनांदगांव पिन क्रमांक 491441 का प्रेषित आवेदन पत्र की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई। शासन के पत्र दिनांक 19.03.2021 में प्रतिलिपी के माध्यम से आवेदक को संबंधित जानकारी नियम समयावधि (30 दिवस) में प्राप्त न होने पर कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन सेक्टर-19 अटल

नगर, नवा रायपुर के अपीलीय अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्राप्त आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता में दिनांक 22.03.2021 को प्राप्त हुआ है जिसका आवक क्र. 298 है। इसे कार्यालय में पंजीकृत किया गया है जिसका प्रकरण क्र. 31 है।

शासन से प्राप्त आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा श्री आर.के. मालवीय साहब की सेवाएं जल संसाधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय छ.ग. स्टेट गैरेज को सौंपने के बाद से लेकर पत्र दिनांक 12.03.2021 तक प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने के लिए जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यालय सहित छ.ग. स्टेट गैरेज के कार्यालय द्वारा अपनाई गई सभी आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित पंजीयां – नस्तीयां मय नोटशीट प्रभावी नियमों, शर्तों-आदेशों की मांग की गई है।

इस बारे में जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता श्री एल.बी. शाह द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण से संबंधित 31 पन्नों के दस्तावेज, नोटशीट अधीक्षण अभियंता, प्रशासन के माध्यम से संबंधित स्थापना के कक्षों से प्राप्त हुए हैं। इस बाबत् उनके द्वारा श्री विनेश चोपड़ा आवेदक को पत्र क्र. 4112275/31/छ.ग./2021/3037 दिनांक 26.03.2021 द्वारा राशि रु. 62/- जमा करने हेतु लेख करते हुए पत्र पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है। श्री विनेश चोपड़ा आवेदक द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि जमा नगद/भारीतय गैर न्यायिक स्टाम्प/मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/भारतीय पोस्टलआर्डर अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्य शीर्ष-0070-प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष- (60)-अन्य सेवाएं लघु शीर्ष (118) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन प्राप्तियां" मद में चालान के माध्यम से जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो जमा नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान आवेदक श्री विनेश चोपड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को फोन से संपर्क किया गया तथा चर्चा के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सासू माँ गुजर जाने के फलस्वरूप वे ट्रेन से नागपुर प्रस्थान किये हैं। अतः वे कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके। चर्चा के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 1 अन्य आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में जमा किया था। इस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि आपके द्वारा जो प्रकरण जनसूचना अधिकारी छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिया गया था, उसी पर आपने प्रथम अपीली अधिकारी सचिव छ.ग. शासन के पास अपील प्रस्तुत की थी जो उनके द्वारा पत्र क्र. 1082/726/31/स्था./2021 रायपुर दिनांक 22.05.2021 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास समक्ष हस्तांतरित की गई है। शासन द्वारा भी प्रतिलिपी के माध्यम से इस बाबत् आपको सूचना दी गई है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मोबाईल पर यह भी सूचित किया कि जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा प्रकरण में पत्र क्र. 4112275/31/छ.ग./2021/3037 दिनांक 26.03.2021 द्वारा राशि रु. 62/- की मांग आपको पंजीकृत डाक से प्रेषित

की गई है, परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक राशि जमा नहीं की गई है। इस पर उनके द्वारा फोन पर बताया गया कि उक्त पत्र आज दिनांक तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रकरण पर सुनवाई से यह स्पष्ट है कि आवेदक को जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा दस्तावेज हेतु राशि रु. 62/- की मांग पंजीकृत डाक पत्र से की गई है तथा उक्त पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उभय पक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

1. यदि आवेदक द्वारा उक्त राशि जमा करने पर चाही गई 31 पृष्ठों की जानकारी उन्हें नियमानुसार प्रदाय की जावे।
2. आवेदक द्वारा जानकारी जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता से प्राप्त किये बगैर प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यह उचित नहीं है। अतः उनका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

सही/-

(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 155/बो.प्र./नि.स./2021/.....

रायपुर /4579

दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. श्री विनेश चोपड़ा वार्ड क्र. 24 जमातपारा कालेज रोड राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 22/06/2021

(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)